न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:– 25/2022

दर्ज दिनांक 22.06.2022

निर्णय दिनांक:– 24.06.2022

श्रीमती छोटी देवी पत्नी पन्नाराम जाति माली निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 एल.आर.एक्ट वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक:– 24.06.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख0न0 2355/765 रकबा 0.40, खसरा न0 2487/93 रकबा 0.45 है0, खसरा न0 2488/765 रकबा 0.90 है0, खसरा न0 2923/685 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 749 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 754 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 755 रकबा 0.04 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 अवस्थित है। उक्त का प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। श्रीमान तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी के आदेश क्रमांक 224 दिनांक 29.04.2022 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.05.2022 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया है जिससे आवेदक पूर्णतया सन्तुष्ट है। जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट सलंग्न हैं। प्रार्थीया सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर पत्थरगढी करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख0न0 2355/765 रकबा 0.40, खसरा न0 2487/93 रकबा 0.45 है0, खसरा न0 2488/765 रकबा 0.90 है0, खसरा न0 2923/685 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 749 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 754 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 755 रकबा 0.04 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 के चारों ओर दिनांक 11.05.2022 के मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी के आदेश अनावेदक तहसीलदार उदयपुरवाटी को फरमाया जावे तथा नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से जमा लिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अप्रार्थी न0 1 ने जबाव आदेशिका पर ही लिखकर बताया कि आदिनांक यदि खातेदार व पडौसी खातेदार ने काश्त नही कर रखी हो तो पत्थरगढी के आदेश करना उचित होगा।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार मौके पर सीमाचिन्ह कायम करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीया ग्राम पौख पटवार हल्का पौख के भूमि खसरा नम्बर 2355/765 रकबा 0.40, खसरा न0 2487/93 रकबा 0.45 है0, खसरा न0 2488/765 रकबा 0.90 है0, खसरा न0 2923/685 रकबा 0.06 है0, खसरा [illegible] रकबा 0.20 है0 खसरा न0 754 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 755 रकबा 0.04 है0 [illegible] किता [illegible] कुल रकबा 2.25 है0 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है। प्रार्थीया की [illegible] का सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर [illegible] करवाना चाह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:07:19 IST
Reason: SelfAttested

सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। उक्त विवेचन से प्रार्थीया अनावश्यक विवादों से बचने के लिए अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाने की अधिकारी है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख0न0 2355/765 रकबा 0.40, खसरा न0 2487/93 रकबा 0.45 है0, खसरा न0 2488/765 रकबा 0.90 है0, खसरा न0 2923/685 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 749 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 754 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 755 रकबा 0.04 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 के चारो ओर सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

24/6/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:07:19 IST
Reason: SelfAttested